गंगादीन
सीताराम
गुलाबसिंह
विक्रमसिंह

26/5/16 पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक उपस्थित/अनुपस्थित। [illegible] में [illegible] न्यायालय/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से [illegible] की गई। परन्तु राजीनामा [illegible] अतः पत्रावली पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत न्यायालय [illegible] आवे। दिनांक [illegible] को न्यायालय में पेश हो।
दिनांक 16-6-16 को पेश हो।

16/6/16 आज पत्रा. कैम्प कोर्ट में पेश हुआ पक्षकारान उपस्थित। सुनवाई प्रकरण का अवलोकन किया प्रार्थी का अवलोकन किया। प्रार्थी का केस प्रारम्भिक स्तर पर नहीं चला है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली नस्ती से कम होकर खाद स्वकीय दाखिल रजिस्टर की जावे निर्णय सुनाया गया।